



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082024-255995
CG-DL-E-01082024-255995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2928]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2024/श्रावण 10, 1946

No. 2928]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2024/SHRAVANA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2024

सं. 22/2024-25

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए कांडला और विशाखापत्तनम समुद्री पत्तनों को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 3069(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा ग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान मालदीव गणराज्य के लिए निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए (2) अतिरिक्त पत्तनों को शामिल करने हेतु अधिसूचना संख्या 06/2023 दिनांक 15.04.2024 को संशोधित करती है:—

- कांडला समुद्री (आइएनआइएक्सवाइ1)
- विशाखापत्तनम समुद्री (आइएनवीटीजेड1)

इस अधिसूचना का प्रभाव:

कांडला और विशाखापत्तनम सीमा शुल्क समुद्री पत्तनों को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात हेतु अनुमति प्रदान किए गए पत्तनों की सूची में जोड़ा गया है जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मालदीव गणराज्य के लिए, निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत हैं। यह पहले की अधिसूचना संख्या 06/2023 दिनांक 15 अप्रैल 2024 में सूचीबद्ध (4) पत्तनों के अतिरिक्त है।

[फा. सं. 01/91/171/59/एम 20/ईसी/ई-20816]
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2024

No. 22/2024-25**Subject: Inclusion of Kandla and Vishakhapatnam Sea ports for Export of Essential Commodities to Maldives during FY 2024-25 -reg.**

S.O. 3069(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP)2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Notification No. 06/2023 dated 15.04.2024 incorporating (2) additional Ports for Export of Essential Commodities under Prohibited/Restricted category to the Republic of Maldives during the period FY 2024-25:-

- i. Kandla Sea (INIXY1)
- ii. Vishakhapatnam Sea (INVTZ1)

Effect of this notification:

Kandla and Vishakhapatnam Customs Sea ports have been added to the list of ports allowed for Export of Essential Commodities, which are under the Prohibited/Restricted category, to the Republic of Maldives for the fiscal year 2024-25. This is in addition to the (4) ports listed in the earlier Notification No. 06/2023 dated 15th April 2024.

[F. No. 01/91/171/59/AM20/EC/E-20816]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.